



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244329
CG-DL-E-13032023-244329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1145]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944

No. 1145]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 1192(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए, एक फीड सर्ज ड्रम और एक कंप्रेसर सीओ ड्रम का, कांडला एसईजेड और अहमदाबाद, गुजरात से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पंचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स भाग्योदय ट्रांसपोर्ट कंपनी उपरोक्त प्रचालन में क्रमशः, एक फीड सर्ज ड्रम के परिवहन के लिए मैसर्स विजय टैंक कांडला एसईजेड का और एक कंप्रेसर सीओ ड्रम के परिवहन के लिए मैसर्स जीएमएम पीफॉडलर लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1	जीजे- 06- बीटी-7440	वोल्वो-एफएम-400
2	एमएच-46-एच-3523	टाटा प्राइमा 280

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रैलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:-

क्रम सं.	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	एचआर-55-एल-4474	ऑटोकार्ट लॉजिस्टिक्स ईक्विपमेंट	3	54
2.	एचआर-55-एल-4456	ऑटोकार्ट लॉजिस्टिक्स ईक्विपमेंट	3	54
3.	एमएच-14-सीपी-7001	जय काली इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	4	72
4.	एचआर-55-जे-3716	ट्रैटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	4	72

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

क्रम सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (सहायक वजन सहित) (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
1	फीड सर्ज ड्रम	35 टन	55 टन	90 टन	15 टन	लं- 11.625 (मी) चौ. -8.315 (मी) ऊँ.- 6.67(मी)	3 धुरी पंक्तियां + ड्रॉपडेक + 3 धुरी पंक्तियां (6 धुरी पंक्तियां + ड्रॉपडेक के बराबर) को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (8 टायर प्रति धुरी पंक्ति)
2	कंप्रेसर सीओ ड्रम	44 टन	81.5 टन	125.5 टन	15.68 टन	लं- 14.18(मी) चौ. -7.009(मी) ऊँ.- 6.807(मी)	4 धुरी पंक्तियां + ड्रॉपडेक + 4 धुरी पंक्तियां (8 धुरी पंक्तियां + ड्रॉपडेक के बराबर) को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (8 टायर प्रति धुरी पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

- (i) फीड सर्ज ड्रम के परिवहन के लिए, विशिष्ट मार्ग, विजय टैंक कांडला एसईजेड, गुजरात से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पंचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-

कांडला-समाखियाली-सिद्धदा-सुईगम, गुजरात-सांचोर, राजस्थान-रामजी का गोल-गुडामलानी-एचआरआरएल पंचपदरा, राजस्थान; और

कंप्रेसर सीओ ड्रम के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग, जीएमएम पीफॉडलर लिमिटेड अहमदाबाद, गुजरात से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पंचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान तक इस सड़क मार्ग से होगा-

अहमदाबाद - मेहसाणा - पालनपुर - दीसा - सांचौर, राजस्थान - रामजी का गोल - गुडमलानी, राजस्थान - एचआरआरएल पंचपदरा, राजस्थान।

- (ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
- (iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स भाग्योदय ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।
- (v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/पुलों/अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं/व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रैलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रैलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चैड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रैलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[सं आरटी-11042/01/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 1192(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of six months from the date of issue of this notification for transportation of one Feed Surge Drum and one Compressor CO Drum from Kandla SEZ and Ahmedabad, Gujarat to HPCL Rajasthan Refinery Ltd, Pachpadra, Barmer, Rajasthan by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Bhagyodaya Transport Company is the transporter of M/s Vijay Tank Kandla SEZ, for transportation of one Feed Surge Drum and M/s GMM Pfaudler Limited, for transportation of one Compressor CO Drum, respectively for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	GJ-06-BT-7440	VOLVO-FM-400
2.	MH-46-H-3523	TATA PRIMA 280

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR-55-L-4474	Autocart Logistics Equipment	3	54
2.	HR-55-L-4456	Autocart Logistics Equipment	3	54
3.	MH-14-CP-7001	Jai kali Engineering Co. Pvt. Ltd.	4	72
4.	HR-55-J-3716	Tratec Engineering Ltd	4	72

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Consignment Name	Unladen weight of axles (including accessory weight) (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Overall dimension of consignment (in metre) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
(i)	Feed Surge Drum	35 MT	55 MT	90 MT	15 MT	L- 11.625 m W- 8.315 m H- 6.67 m	3 axle rows + dropdeck + 3 axle rows (equivalent to 6 axle rows + dropdeck) will be coupled in straight line (8 tyre per axle row)
(ii)	Compressor CO Drum	44 MT	81.5 MT	125.5 MT	15.68 MT	L- 14.18 m W- 7.009m H- 6.807m	4 axle rows + dropdeck + 4 axle rows (equivalent to 8 axle rows + dropdeck) will be coupled in straight line (8 tyre per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- i. The specific route for transportation of the Feed Surge Drum will be from Vijay Tank Kandla SEZ, Gujarat to HPCL Rajasthan Refinery Ltd, Pachpadra, Barmer, Rajasthan by road through-
Kandla –Samakhiyali –Sidhada - Suigam, Gujarat – Sanchoe, Rajasthan – Ramji ka gol - Gudamalani - HRRL Pachpadra, Rajasthan; and
The specific route for transportation of the Compressor CO Drum will be from GMM Pfaudler Limited Ahmedabad , Gujarat to HPCL Rajasthan Refinery Ltd, Pachpadra, Barmer, Rajasthan by road through-
Ahmedabad – Mehsana – Palanpur – Deesa – Sanchoe, Rajasthan – Ramji ka gol - Gudamalani, Rajasthan - HRRL Pachpadra, Rajasthan.
- ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Bhagyodaya Transport Company.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Gujarat, Haryana and Maharashtra.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[No. RT-11042/01/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.